

कार्यालय नगरपालिका परिषद हाटा, (कुशीनगर)

कोटेशन सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद हाटा, (कुशीनगर) के विद्युत व्यवस्था/पथ प्रकाश व्यवस्था सुदृढीकरण हेतु राज्य वित्त/निकाय निधि से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति जिलाधिकारी कुशीनगर के कार्यालय पर मोहर बन्द कोटेशन दिनांक-21.06.2017 को अपराह्न 1 बजे तक दे सकते हैं जो उसी दिन सांयकाल 3 बजे दिन में उपस्थित काटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। उक्त से संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है एवं निकाय की बेबसाईट www.nphata.org पर भी देखी जा सकती है।

क्र०	सामग्री का विवरण	जमानत की धनराशि	दर का विवरण
1	400 के०वी० मोबाईल ट्रांसफार्मर, 11/433 के०वी०ए० आपूर्ति	10,000.00	
2	400 के०वी० मोबाईल ट्रांसफार्मर Built in EVR, 11/433 के०वी०ए० आपूर्ति		

नियम एवं शर्तें:-

- वे सभी व्यक्ति एवं फर्म अपनी निविदा दे सकते हैं, जो उपरोक्त सामग्रियों के आपूर्ति एवं व्यवसाय का कार्य करते हैं, एवं जो आयकर व्यापार कर विभाग से पंजीकृत हैं।
- कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ जमानत के रूप में एफ०डी०आर०, बैंक ड्राफ्ट या एम०ए० सी०-5 पर नकद कैश अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद हाटा के नाम उनके पक्ष में जमा करना होगा।
- कोटेशनदाता को अपने कोटेशन में स्पष्ट दर के साथ पूर्ण तकनीकी विवरण देना होगा।
- कोटेशनदाता को अपने द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्रियों की गारन्टी भी देनी होगी।
- कोटेशनदाता की दर स्वीकृत होने के उपरान्त पुनः दरों में किसी भी आधार पर कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
- कोटेशनदाता को अपने व्यय से 100 रु० के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
- जो फर्म/ठेकेदार निर्धारित मानक के अनुसार कार्य नहीं करेगा या मानक के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति नहीं करेगा तो भा०द०सं० के अर्न्तगत यह कृत्य अपराध माना जायेगा तथा फर्म/ठेकेदार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- बिना कोई कारण बताये किसी भी कोटेशन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, हाटा
(कुशीनगर)

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद हाटा
(कुशीनगर)

पत्रांक-235(2)/न०पा०प०हाटा/2017-18

दिनांक- 15 जून 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित :-

- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- उपजिलाधिकारी हाटा (कुशीनगर)।
- प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कुशीनगर।
- सम्पादक/प्रतिनिधि समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा एवं आज" को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति के आलेख का प्रकाशन कुशीनगर अंक में कराकर सम्बंधित समाचार पत्र की अतिरिक्त प्रति सहित बिल प्रस्तुत करें।
- निकाय की बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्षा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद हाटा
(कुशीनगर)